

## एक उम्मीदवार एक नरिवाचन क्षेत्र

### प्रलिमिन्स के लिये:

एक उम्मीदवार एक नरिवाचन क्षेत्र, चुनाव आयोग, जनप्रतनिधित्व अधनियिम ।

### मेन्स के लिये:

दो नरिवाचन क्षेत्रों हेतु एक उम्मीदवार के चुनाव लड़ने से संबंधति मुद्दा ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [मुख्य चुनाव आयुक्त](#) ने कानून और न्याय मंत्रालय से एक उम्मीदवार के एक ही सीट से चुनाव लड़ने संबंधी प्रावधान के लिये कहा है ।

- इसने एगजटि पोल और ओपनियिन पोल पर प्रतबिंध लगाने की भी सफिरशि की थी और कहा कि चुनाव की पहली अधसूचना के दनि से लेकर उसके सभी चरणों में चुनाव पूरा होने तक ओपनियिन पोल के परणामों के संचालन और प्रसार पर कुछ प्रतबिंध होना चाहिये ।

## प्रमुख बदि

### पृष्ठभूमि:

- जन प्रतनिधित्व अधनियिम (RPA), 1951 की धारा 33 (7) के अनुसार, एक उम्मीदवार अधिकतम दो नरिवाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है ।
- वर्ष 1996 तक अधकि नरिवाचन क्षेत्रों की अनुमति दी गई थी जब दो नरिवाचन क्षेत्रों में अधिकतम सीमा नरिधारति करने हेतु आरपीए में संशोधन कयिा गया था ।
- वर्ष 1951 के बाद से कई राजनेतिकि पारटियों द्वारा एक से अधकि सीटों पर चुनाव लड़ने के लिये इस कारक का उपयोग कभी-कभी प्रतदिवंदी के वोट को वभिाजति करने हेतु, कभी देश भर में अपनी पारटी की शक्ति का दावा प्रस्तुत करने के लिये, कभी नरिवाचन क्षेत्रों के आस-पास के क्षेत्र में अपनी पारटी का प्रभाव स्थापति करने हेतु कयिा गया । उम्मीदवार की पारटी और सभी दलों ने धारा 33(7) का दुरुपयोग कयिा है ।

## मुद्दा:

- अधनियिम मे वभिनिन धाराओं मे द्वंद:**
  - चूँकि कोई भी उम्मीदवार दो नरिवाचन क्षेत्रों का प्रतनिधित्व नहीं कर सकता है, इसलिये इस प्रणाली का वचिर अतार्ककि और वडिंबनापूर्ण प्रतीत होता है ।
  - आरपीए की धारा 33 (7) के पीछे वडिंबना यह है कयिह एक ऐसी स्थति की ओर ले जाता है जहाँ इसे उसी अधनियिम की एक अन्य धारा – वशिष रूप से, धारा 70 से द्वंद की स्थति पैदा करता है।
  - जहाँ 33 (7) उम्मीदवारों को दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, धारा 70 उम्मीदवारों को लोकसभा / राज्य वधिानसभा में दो नरिवाचन क्षेत्रों का प्रतनिधित्व करने से रोकता है ।
- उपचुनाव सरकारी वत्तितीयन पर अतरिकित बोझ:**
  - एक नरिवाचन क्षेत्र का त्याग करने के बाद, आम चुनाव के तुरंत बाद एक उपचुनाव स्वतः शुरू हो जाता है ।
    - उदाहरण के लिये, वर्ष 2014 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वडोदरा और वाराणसी दोनों सीटें जीतने के बाद, उन्होंने वडोदरा में अपनी सीट खाली कर दी, जसिसे वहाँ उपचुनाव कराना पड़ा ।
  - एक उपचुनाव के कारण लाखों करदाताओं के धन को खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है, जसिसे आसानी से टाला जा सकता था ।
    - वर्ष 1994 से पहले, जब उम्मीदवार तीन सीटों से भी चुनाव लड़ सकते थे, तो वत्तितीय बोझ और भी भारी था ।
- मतदाता रुचिओ देते हैं:**
  - बार-बार चुनाव न केवल अनावश्यक और महंगे हैं, बल्कि इससे मतदाताओं की चुनावी प्रक्रयिा में रुचि भी कम होगी ।
  - नरिपवाद रूप से, उप-चुनाव में सबसे अधकि संभावना है कि कुछ दनि पहले के पहले चुनाव की तुलना में कम मतदाता मतदान करेंगे ।

## दो सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में तर्क:

- एक उम्मीदवार, दो निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली "राजनीति के साथ-साथ उम्मीदवारों के लिये व्यापक विकल्प" प्रदान करती है।
- इस प्रावधान को खत्म करने से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन होगा है, साथ ही राजनीति में उम्मीदवारों की कमी हो सकती है।

## चुनाव आयोग की सफारिशें :

- चुनाव आयोग ने धारा 33 (7) में संशोधन करने की सफारिश की ताकि एक उम्मीदवार को केवल एक सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सके।
  - इसने वर्ष 2004, 2010, 2016 और वर्ष 2018 में ऐसा किया।
- एक ऐसी प्रणाली विकसित की जानी चाहिये जिसमें यदि कोई उम्मीदवार दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है और दोनों में जीत हासिल करता है, तो उसे किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में बाद के उपचुनाव कराने का वित्तीय भार वहन करना होगा।
  - यह राश विधानसभा चुनाव के लिये 5 लाख रुपए और लोकसभा चुनाव के लिये 10 लाख रुपए होगी।

## एग्जिटि एंड ओपनियन पोल:

- एक ओपनियन पोल चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर मतदाताओं के विचारों को इकट्ठा करने के लिये एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण है।
- वहीं दूसरी ओर, एग्जिटि पोल लोगों द्वारा मतदान करने के तुरंत बाद आयोजित किया जाता है और राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के समर्थन का आकलन करता है।

## चुनाव आयोग का तर्क:

- दोनों प्रकार के चुनाव विवादास्पद हो सकते हैं यदि उन्हें संचालित करने वाली एजेंसी को पक्षपाती माना जाता है।
- इन सर्वेक्षणों के अनुमान प्रश्नों की पसंद, शब्दों, समय और तैयार किये गए नमूने की प्रकृति से प्रभावित हो सकते हैं।
- राजनीतिक दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि कोई राय और एग्जिटि पोल उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा प्रेरित और प्रयोजित होती हैं, और एक चुनाव में मतदाताओं द्वारा चुने गए विकल्पों पर विकृत प्रभाव डाल सकते हैं एवं केवल सार्वजनिक भावना या विचारों को प्रतबिंबित करने से रोक सकते हैं।

## आगे की राह:

- "एक व्यक्ति, एक वोट" वह कहावत है जो भारतीय लोकतंत्र का संस्थापक सिद्धांत रहा है। शायद यह उस सिद्धांत को संशोधित और विस्तारित करने का समय है।

## वर्षों के प्रश्न:

### निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत के संविधान के अनुसार, जो व्यक्ति वोट देने के योग्य है, उसे किसी राज्य में छह महीने के लिये मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो।
2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, एक अपराधिक अपराध का दोषी और पाँच साल के कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को जेल से रहिा होने के बाद भी चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

### उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) दोनों 1 और 2
- (d) न तो 1 और न ही 2

### उत्तर: (d)

### व्याख्या:

- संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि के लिये राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है वह मंत्री नहीं रहेगा। यह प्रावधान एक गैर-वधायक को छह महीने के लिये मुख्यमंत्री के कार्यालय सहित मंत्रपरिषद में पद धारण करने की अनुमति देता है। छह महीने के भीतर उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य (या तो चुनाव या नामांकन द्वारा) बनना होगा, अन्यथा वह मंत्री नहीं रह जाएगा।
- राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए विधान परिषद के मामले में आयु 30 वर्ष से कम और विधान सभा के मामले में 25 वर्ष से कम नहीं होनी

चाहिए। अतः कथन 1 सही नहीं है।

- जन प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार, किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए व्यक्ति और कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है, उस तारीख से चुनाव (वधायक या सांसद) लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया जाएगा। उनकी रहिाई के बाद से छह साल की अवध के लिये उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना जारी रहेगा। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- अतः विकल्प (d) सही है।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/one-candidate-one-constituency>

